न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 61/2018

1 बन्नाराम पुत्र मालाराम
2 चौथी पत्नी भोलूराम
3 मस्ताराम उम्र 20 साल पुत्र भोलूराम
जाति समस्त कीर निवासीगण ग्राम कीरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
3 बोदूराम पुत्र भोलूराम
4 दड़की देवी पत्नी स्व. नेतराम
5 रामजीलाल पुत्र नेतराम
6 कृष्ण कुमार पुत्र नेतराम
जाति समस्त कीर निवासीगण ग्राम कीरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत सहायक
कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू कैम्प कोर्ट केड दावा उनवानी
बन्नाराम वगै. बनाम लेण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी
दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड दावा संख्या 136/2006
निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2018

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—19.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 136/2006 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 ने विचारण न्यायालय के यहां जमीन हाल खसरा नम्बर 712 रकबा 0.41 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 711 रकबा 1.52 हैक्टेयर में से 0.67 हैक्टेयर कुल 1.08 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा कीरपुरा तहसील उदयपुरवाटी के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्व खातेदारी हकुको की घोषणा का दावा दिया। विचारण न्यायालय ने उक्त दावा को अपने निर्णय दिनांक 17.05.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2018 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दावा में तारीख पेशी 28.05.2018 वादीगण अर्थात अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 की जिरह में नियत थी और विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 तथा उनके अधिवक्ता को बिना सूचित किये नियत पेशी से पूर्व पत्रावली को कैम्प कोर्ट के डमें ले जाना बताकर दावा को खारिज कर दिया जो कि कानूनन गलत है। राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भाग द्वितीय के नियम 12 व 13 के मुताबिक कैम्प कोर्ट की सूचना अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 व उनके अधिवक्ता को नहीं दी गई। यह इससे भी साबित है कि निर्णय जैर बहस में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 व उनके अधिवक्ता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दर्ज नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। दिवानी प्रकिया संहिता के मुताबिक वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में दावा आदेश 09 नियम 3 के मुताबिक अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये दावे की पत्रावली को कैम्प कोर्ट केड में मैरिट पर निर्णित कर खारिज कर कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय के यहां अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 6 का दावा प्लींडिग व दस्तावेजी साक्ष्य से बखुबी साबित रहा है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 6 की प्लींडिग का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से स्पेशिफिक डिनायल नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में आदेश 08 नियम 5 जा.दी. के मुताबिक रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 की तरफ से अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 की प्लींडिग की स्वीकारोक्ति मानी जायेगी और विचारण न्यायालय ने उक्त सिद्धान्त को नजर अंदाज कर अपीलान्टस के दावे को खारिज करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 08.03.1970 को विधिक प्रतीत नहीं होना दर्ज किया है जो कि गलत है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी तथा किसी भी अदालत का निर्णय चाहे वह गलत व शुन्य हो जब तक उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक वह निर्णय सही माना जायेगा। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 ने मु.नं. 213/67 निर्णय दिनांक 13.12.1969 बअदालत तहसीलदार उदयपुरवाटी के आधार पर आराजी में टिनेन्सी राईटस क्लेम किये है उक्त निर्णय से टिनेन्सी साबित है। उक्त निर्णय को नजर अंदाज कर विचारण न्यायालय ने दावा खारिज करने में गलती की है। विचारण न्यायालय का निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। विचारण न्यायालय को तनकियात पर साक्ष्य प्राप्त कर निर्णय जैर बहस पारित करना चाहिये था। जमीन जैर बहस माला पुत्र शंकरा जाति कीर को निर्णय दिनांक 13.12.1969 के द्वारा मिली। उत्तराधिकार में टिनेन्सी राईटस अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 को प्राप्त हुये। मालाराम के तीन पुत्र भोलूराम, नेतराम व बन्नाराम अपीलान्ट संख्या 1 पैदा हुये। भोलूराम के वारिस अपीलान्ट संख्या 2 व 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 है। नेतराम के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 है। इस प्रकार जमीन जैर बहस में अपीलान्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलांट संख्या 2 व 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा हुआ। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 ने अपने दावें की प्लींडिग को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय को दावा को बहक अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 निर्णित कर डिक्री करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 711, 712, 715 बन्दोबस्त प्रथम से ही सिवायचक राजकीय खाते में दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। वादीगण उक्त वर्णित भूमि के अतिक्रमी है तथा वादीगण का उक्त वर्णित भूमि पर कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 711, 712, 715 बन्दोबस्त प्रथम से ही सिवायचक राजकीय खाते में दर्ज है। वादीगण उक्त वर्णित भूमि के अतिक्रमी है तथा वादीगण का उक्त वर्णित भूमि पर कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर